SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बिहार में नमक सत्याग्रहः भागलपुर जिले के वीहपुर के विशेष संदर्भ में

जितेन्द्र कुमार, Ph. D.
मोलदियार टोला, वार्ड नं.–12, मोकामा, पटना, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
जितेन्द्र कुमार, Ph. D.
E-mail : jitendrakumar153198@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 20/09/2024
Revised on : 22/11/2024
Accepted on : 02/12/2024
Overall Similarity : 00% on 23/11/2024

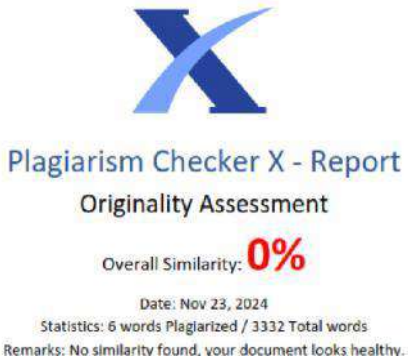

शोध सार

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक महत्त्वपूर्ण आन्दोलन हुए लेकिन इतिहास के पन्नों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा अहिंसात्मक सत्याग्रह था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हिलाकर रख दिया। यह अमीर और गरीब के लिए समान महत्त्व का था। 12 मार्च, 1930 ई. को गाँधीजी ने अपने 79 समर्थको के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से 240 किमी दूर दाण्डी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ई. को दाण्डी पहुँचकर गाँधीजी ने नमक कानून तोड़ा। इसकी लहर पूरे देश में तेजी से फैल गयी। बिहार के किसानों इसे एक जन आंदोलन में परिगत कर दिया, जिसकी अनुगूंज शहरी ही नहीं अपितु देहाती क्षेत्रों में भी सुनवाई पड़ी।

मुख्य शब्द

नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, शिविर, आबकारी, स्वयंसेवक, वीहपुर, नसहभागिता.

भूमिका

गाँधीवादी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वाभाविक रूप से उन क्षेत्रों में आरंभ हुआ जहाँ थोड़ा बहुत गाँधीवादी रचनात्मक कार्य हो चुका था, उदाहरणार्थ खादी और मद्यनिषेध का प्रचार, ग्राम सुधार, स्थानीय शिकायतों को लेकर कभी–कभी चलाए गए आंदोलन आदि। इन्हीं क्षेत्रों में यह आंदोलन सबसे अधिक मजबूत भी था। ऐसे आंदोलन का सर्वाधिक विख्यात उदाहरण बारदोली आंदोलन है जिसके अंतर्गत लगान न देने पर आंदोलन सफलतापूर्वक चलाया गया और अनेक ''स्वराज आश्रम तथा छावनियों'' कायम की गई। आरामबाग आदि क्षेत्रों का महत्त्व प्रकाश में आया है, जबकि बंगाल ऐसा प्रांत था जहाँ के अधिकांश कांग्रेसी नेता शहरी 'भद्रलोक' थे और सी.आर दास की मृत्यु के बाद जो प्रायः आपसी झगड़ों

में व्यस्त रहते थे तथा जिसके कारण यह धारणा बनी थी कि समग्र कांग्रेस आंदोलन पतनोन्मुख था।

1930 में नमक आंदोलन चलाया गया जिसने अंग्रेज अफसरों तथा संभवत अनेक बुद्धिजीवि कांग्रेसजनों की आशाओं के बहुत हद तक खिलाफ उत्प्रेरक का काम किया। इरविन ने 20 फरवरी 1930 को वेजवुड बेन को प्रफुल्लित होकर लिखा, ''इस समय नमक आंदोलन को संभावनाएँ मुझे रात को जगाए नहीं रखती। बताया जाता है कि एक वर्ष बाद वाइसराय ने गांधी के समक्ष यह स्वीकार कियाः ''आपने नमक को लेकर एक अच्छी रणनीति की योजना बनाई'', नमक का प्रश्न ऐसा था जिसने एक ही क्षण में स्वराज आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्र की व्यापक और वास्तविक शिकायत से जोड़ दिया तथा जिसमे सामाजिक आधार पर फूट डालने वाली सभावनाएँ नहीं थी। नमक आंदोलन के समर्थक किसानों को भी नमक में अतिरिक्त आय की संभावना दिखाई दी भले ही नमक से अधिक आय की आशा न रही हो फिर भी इस संभावना का विशेष मनोवैज्ञानिक महत्त्व था।[1]

अधिकांश क्षेत्रों में ऐसे संघर्ष चलाने का प्रयत्न किया गया जिनसे अपेक्षाकृत कम सामाजिक विभाजन होने की संभावना थी। विशेषकर शराब की दुकानों और आबकारी के लाइसेंस की नीलामी के विरूद्ध धरने पर कार्यक्रम व्यापक रूप से अपनाया गया जिसके फलस्वरूप बिहार में सितंबर 1930 तक आबकारी से होने वाली आय में लगभग 20 लाख रूपये की कमी हुई। एक अन्य बड़ा प्रश्न चौकीदारी टैक्स का था, जिसपर अगस्त 1930 तक कांग्रेस की गतिविधियाँ बिहार के चंपारण मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सारण तथा मुगेर जिलों में क्रमशः केन्द्रित होती जा रही थी। मिदनापुर भी जहाँ यूनियन बोर्ड विरोधी कर न देने के आंदोलन का अनुभव पहले से हो चुका था. इस आंदोलन का एक बड़ा केन्द्र बन गया।[2]

नमक सत्याग्रह के लिए गाँधी के साथ देने बिहार सहित विभिन्न प्रातों से स्वयंसेवक आए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार लिखा ''आज तीर्थयात्री अपने लम्बे पथ पर चल पड़ा। हाथ में लाठी लिए यह गुजरात की धूल भरी सड़कों पर सुदृढ़ कदमों से स्पष्ट दृष्टि से बढ़ रहा है। उसके आस्थावान अनुयायी उसके पीछे चल रहे है। अतीत में उसने अनेक यात्राएँ की है, अनेक कठिन मार्ग तय किए है, किन्तु पहले के मार्गों से कहीं अधिक लम्बी यात्रा है और उसकी राह में अनेकानेक कठिनाईयाँ है पर एक दृढ़ संकल्प की आग उसमें प्रज्वलित है। उसके विपन्न देशवासियों का प्रेम उसका सम्बल है. इसके अतिरिक्त सत्य का प्रेम जो उसके हृदय में जल रहा है तथा स्वतंत्रता का प्रेम जिसने उसे प्रेरणा दी है, जो भी उसके सामने से गुजरता इनके जादू का अनुभव किए बिना नहीं रह सकता। सामान्य मिट्टी के लोग जिनकी चिनगारी का अनुभव करते हैं, यात्रा लम्बी है क्योंकि मंजिल भारत की आजादी तथा उसके करोड़ों करोड़ लोगों के शोषण का अन्त करना है।[3]

6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई थी। बिहार में इसके लिए पहले से ही उत्साह था। फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने में एक भाषण में राजेन्द्र बाबू ने सविनय अवज्ञा की सम्भावित रूप रेखा बनाई। श्री जवाहरलाल नेहरू ने 31 मार्च से 3 अप्रैल तक प्रांत का दौरा किया। इससे जनता को अत्यधिक प्रेरणा मिली। अप्रैल के पहले सप्ताह तक यहाँ 500 से अधिक कांग्रेस स्वयंसेवक बनाए जा चुके थे और उनकी संख्या धीरे–धीरे बढ़ रही थी। 9 अप्रैल के 'सर्चलाईट' में इस आशय की सूचना प्रकाशित हुई–''एक नई आशा की लहर, एक नई प्रेरणा, एक नये आदर्श की तलाश एवं एक नये बलिदान में रोमांचकारी अनुभव से वातावरण आपूरित है।

नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चम्पारण और सारण में शुरू किया गया। चम्पारण जिला में 13 व्यक्तियों का पहला जत्था विपिन बिहारी वर्मा, अध्यक्ष चम्पारण जिला कांग्रेस जिला अनिषद की अध्यक्षता में चला। नगर में उस दिन भारी उत्साह था। राजेन्द्र बाबू इस स्वयंसेवकों के पहले जत्था को हार्दिक विदाई दी। रास्ते में जत्था, अँखिया, सेमरा सुगौली, फुलवारिया, माधोपुर, सेनवरिया और जोकरिया में ठहरते हुए 11 अप्रैल को बेतिया पहुँचा। रास्ते भर गाँव के लोग जत्था का हार्दिक स्वागत करते हुए अनेक लोग उनके साथ हो जाते। जत्था जब बेतिया पहुँचा तो उस समय 34,000 स्वयंसेवक बन चुके थे। बेतिया की सभा में विपिन बिहारी वर्मा ने भाषण किया। उन्हें 593 रूपया की थैली दी गई। 15 अप्रैल को चम्पारण जिला के कई स्थानों में नमक कानून भंग किया गया। इनके नाम क्रमशः ये

हैः जोगापट्टी, मोतिहारी, ढ़ाका, सुगौली, गोविन्दगंज, रक्सौल और बेतिया। पुलिस ने विभिन्न थानों के नेताओं का एक ही दिन गिरफ्तार कर लिया। प्रमुख गिरफ्तार लोगों में ये थे, विपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयालू प्रसाद साहू, रामदास प्रसाद आदि। इन सबों को विभिन्न अवधियों की कैद एवं अन्य सजाएँ मिली। विपिन बिहारी को एक वर्ष साधारण कैद की सजा और शेष लोगों को 6–6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई। नेताओं की गिरफ्तारी से लोगों का उत्साह और भी बढ़ा। सत्याग्रह के पहले दिन 80 रुपया 14 आना का नमक बिका। नेताओं की गिरफ्तारी के दिरोध में मोतिहारी और बेतिया में हडताल रही। 17 अप्रैल को हरिवंश सहाय और जयनारायण प्रसाद को गिरफ्तार करके एक वर्ष के सधारण कैद की सजा दी गई। शीघ्र ही सीता शरण और विश्वनाथ सिंह तथा 14 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिए गये। सत्याग्रह फिर भी चलता रहा। उस इलाके के कुछ अन्य गाँवों में सामूहिक तौर पर नमक बनाया जाने लगा। 19 अप्रैल को लगभग 2000 स्वयंसेवकों ने 550 स्थानों पर नमक बनाया।

इस प्रकार बिहार के प्रत्येक जिले में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। सारण में 23 अप्रैल तक लगभग 12 मुख्य नमक बनाने के केन्द्र खुल चुके थे। प्रत्येक केन्द्र के आसपास के अनेक गाँवों में नमक बनाने का काम होता था। संपूर्ण जिला नये उत्साह से स्नन्दित हो रहा था। पुलिस का प्रभावी सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा था।[4]

6 अप्रैल को 11 चौकीदारों और एक दफादार ने बरेजा के समीप त्यागपत्र दे दिया।[5] मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल से सत्याग्रह शुरू हुआ। इसके स्थानीय नेता रामदयालू सिंह तथा जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामनन्दन सिंह थे। 6 अप्रैल के तीसरे पहर तिलक मैदान में एक बड़ी सभा की। इसकी अध्यक्षता रामदयालु सिंह ने की। इस सभा में आचार्य कृपलानी भी उपस्थित थे। शिवहर पहुँचने पर रामबाग में रामदयालु सिंह ने एक बड़ी सभा में भाषण किया। यहाँ पुलिस पहले से तैनात थी।[6] उसने नेताओं और कुछ स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया तथा भीड़ को हटाने का प्रयत्न किया। गिरफ्तार व्यक्तियों में रामदयालु सिंह को डेढ़ वर्ष और ठाकुर रामनन्दन सिंह को दो वर्ष की कड़ी सजा दी गई 4 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए। उन्हें भी विभिन्न अवधियों की सजा दी गई।[7]

बिहार के जून के अंत तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाना था क्योंकि वर्षा शुरू हो जाने पर नमक बनाने योग्य मिट्टी मिलना संभव नहीं था।[8] इस बीच सविनय अवज्ञा कार्यक्रम के दूसरे काम जैसे विलायती वस्त्र का बहिष्कार और उसके साथ–साथ खादी का उत्पादन तथा व्यवहार तथा सभी तरह के नशीले पदार्थों का बहिष्कार आदि कार्य बीच बीच में कांग्रेसी स्वयंसेवकों द्वारा शुरू किया जा रहा था। इसके साथ चौकीदारी कर नहीं देने के लिए तैयारियों भी की जा रही थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष ने 9 मई, 1930 को एक परिपत्र परित करके सभी शाखा समितियों को विदेशी वस्त्रों तथा नशीले पदार्थों की दुकानों पर 16 मई से धरना देने का काम शुरू करने का आदेश दिए। उस समय से विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों तथा शराब ताड़ी के व्यवहार के विरुद्ध प्रचार कार्य एवं उनकी दुकानों पर धरना उत्साह के साथ शुरू किया गया।[9]

सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करते समय गांधीजी ने भारत की महिलाओं के नाम से खुली चिट्ठी में उनसे विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों के बहिष्कार संबंधी कार्यों में भाग लेकर राष्ट्रीय संग्राम में सहायता देने की अपील की थी।[10]

सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह महत्वपूर्ण काम था। यह सही है कि नमक बनाने में लोगों को एक आमदनी का बोध था लेकिन असली उद्देश्य सरकारी आय को घटाना था। साधारण लोग भी विशिष्ट एवं अनुशंसित लग रहे थे, सब जगह सविनय अवज्ञा का जोर था, चौकीदार तथा दफादारों ने भी त्यागपत्र दिया। अन्य स्थानों में भी आंदोलन चल रहा था। लोगों को सजा भी दी जा रही थी। नशीले पदार्थों तथा विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना उत्साहपूर्वक चल रहा था, अन्य क्षेत्र में भी यही हाल था। महिलाओं ने भी भारी सहयोग किया था। इसी आंदोलन के क्रम में भागलपुर जिला में वीहपुर में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1930 के सत्याग्रह के आरंभ से बिहार के अन्य स्थानों में पुलिस का जुल्म चल रहा था लेकिन वीहपुर में जो कुछ हुआ उनके सामने कुछ भी नहीं था। पटना में मध्य अप्रैल में सत्याग्रह स्वयंसेवकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उससे भी यहाँ पुलिस को

जुल्म की कठोरता अधिक थी। 31 मई 1930 को भागलपुर का जिलाधिकारी टौपलिसा, आरक्षी अधीक्षक तथा सहायक आरक्षी अधीक्षक के साथ बड़ी संख्या में सशस्त्र तथा सामान्य पुलिस को लेकर वीहपुर पहुँचा। पहली जून को तीसरे पहर शराब एवं गांजा की दूकानों पर धरना देने वाले स्वयंसेवकों को यूरोपीय अधिकारियों ने यहाँ से हट जाने को कहा। आदेश नहीं मानने पर उन्हें बुरी तरह पीटा गया और राष्ट्रीय झंडा छीनकर जला दिया। इसे बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय, खादी भंडार और चर्खा संघ पर धावा मारा और उस पर कब्जा कर लिया।[11]

इसके उपरांत चर्खा, संघ कार्यालय का ताला तोड़ दिया गया। चर्खा, सूत. कपास, खादी के कपड़े एवं कर्मचारियों के कपड़े आदि खंडको में फेंक दिए गए। इसके बाद इसके विरोध में वहाँ एक सभा हुई जिसमें सुखदेव चौधरी ने उग्र भाषण किया और यह निर्णय किया गया कि कांग्रेस ऑफिस पर फिर से अधिकार करने के लिए प्रतिदिन स्वयंसेवकों का एक जत्था भेजा जाए। 2 से 6 जून तक स्वयंसेवक इस कार्यक्रम के अनुसार जब कार्यालय की ओर जाते तो उनपर पुलिस निमर्मता के साथ प्रहार करती। इसमें कई स्वयंसेवक बेहोश भी हो जाते थे। इसके परिणामस्वरूप चारों तरफ घोर उत्तेजना फैल गई और पड़ोस के गाँवों से बड़ी संख्या में लोग वहाँ एकत्र होने लगे। 6 जून को कांग्रेस कार्यालय से थोड़ी दूर पर आम के बगीचे में एक महती सभा हुई। कुछ पुलिस के जवानों को लेकर एक यूरोपीय अधिकारी वहाँ पहुँचा और लोगों को बेहरमी से पीटा। अनेक लोग इसमें बुरी तरह घायल हुए। 7 जून को भी यही सब हुआ।

वीहपुर में पुलिस का दमनचक्र बड़ी कठोर एवं निमर्मता के साथ चल रहा था। स्थिति रोज–ब–रोज बिगड़ता जा रहा था। प्रोफेसर अब्दुल बारी, बलदेव सहाय, ज्ञान साहा और मुरली मनोहर प्रसाद को साथ लेकर राजेन्द्र बाबू वीहपुर के लिए रवाना हो गए। ये लोग 8 जून, रविवार को भागलपुर पहुँचे। दूसरे दिन राजेन्द्र बाबू अपने पटना के सहयोगियों तथा अनन्त प्रसाद, एम.एल.सी और बाबू कमलेश्वरी प्रसाद, एम.एल.सी. को साथ लिए वीहपुर लगभग दोपहर में पहुँच गए। उनके साथ याकूब आरिफ भूतपूर्व सदस्य, विधानसभा श्री उपेन्द्र नाथ मुखर्जी, भागलपुर जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष और कुछ अन्य लोग भी थे। तीसरे पहर उस बगीचे में फिर एक सभा हुई। इसमें राजेन्द्र बाबू, अब्दुल बारी और आरिफ ने भाषण किया। सभा 5 बजे खत्म हुई और एक जुलूस मुख्य सड़क से कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ी। जुलूस के साथ पुलिस का कैसा तुलूक होता था यह देखने को अनेक लोग उसके पीछे–पीछे चल रहे थे। पुलिस के घेरा के समीप पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक पाठशाला में रखा गया। भीड़ उनके गिरफ्तार होने के स्थान से लगभग 100 गज की दूरी पर रखी थी। पुलिस ने उसपर बेरहमी के साथ लाठी चलाई। इसमें अनेक लोगों को चोटें आई फिर भी लोग शांत रहे।

मुख्य सड़क पर यह सब करने के बाद आरक्षी अपने पुलिस दस्ता को लेकर बाजार की ओर गया। जहाँ राजेन्द्र बाबू और कुछ अन्य लोग उस समय थे। उनके पास पहुँचते ही पुलिस ने लाठियाँ चलानी शुरू कर दी। वहाँ राजेन्द्र बाबू, वलदेव सहाय, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद, प्रोफेसर ज्ञान साहा एवं अन्य गणमान्य भी पुलिस की लाठियों की चपेट में आ गए। इन सभी लोगों को तथा अनेक दूसरे लोगों को चोटें आई। पुलिस भागलपुर जिला कांग्रेस कमिटी के प्रभारी अध्यक्ष उपेन्द्र नाथ मुखर्जी, सचिव श्री मेवालाल झा वीहपुर थाना काग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सत्यदेव राय को धारा 146 भारतीय दंड संहिता के अंगर्तत गैर–कानूनी जमात के सदस्य होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के कठोर दमन एवं बेरहमी सो मारपीट करने की नीति से भयभीत होने के बदले राष्ट्रवादी भावना और भी जोर पकड़ती गई, सरकार के विरूद्ध लोगों का रोष बढ़ता गया और इससे सत्याग्रह आंदोलन को विशेष बल मिला। 13 जून को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की रिपोर्ट में उल्लिखित है कि "सरकार दमन के द्वारा जिस भावना को कुचल देना चाहती थी यह उसके हर प्रयत्न से और भी शक्तिशाली हुई। इस समय प्रांत भर में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहाँ वीहपुर क्षेत्र की तरह उत्साह एवं जिन्दगी दिख पड़ती हो। वीहपुर के सभी चौकीदार, संख्या में लगभग 2006 सरपंच और कुछ दफादारों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार कौंसिल के 4 सदस्य, अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, श्यामनारायण सिंह शर्मा और, नवलकिशोर प्रसाद सिंह ने

सदस्यता त्याग दी। भागलपुर के पब्लिक प्रोजक्यूटर, राय बहादुर सुधांशु भूषण राय ने 4 जुलाई, 1930 को अपना त्यागपत्र दे दिया। भागलपुर के अधिकारियों से राय का जिला ही हाल की घटनाओं को लेकर तीव्र मतभेद हो गया था। राय ने बीहपुर एवं सवौर में पुलिस की कार्रवाइयों को अवैध कहा था। रायबहादुर द्वारका नाथ ने भी लगभग इसी समय सरकार की दमन नीति और विशेष करके राजेन्द्र बाबू और अब्दुल बारी पर लाठी प्रहार के विरोध में बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाबू योगेन्द्र प्रसाद, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट ने भी इसी कारण परिषद की सदस्यता त्याग दी।[12]

भागलपुर के जिलाधिकारी ने सरकार से अनुशंसा की कि पुलिस द्वारा जब्त वीहपुर स्वयंसेवक शिविर लौटा दिया जाए और स्वयंसेवकों को सरकारी आदेश के लिए कुछेक दिन प्रतीक्षा करने को कहा, किन्तु सरकार ने उसकी अनुशंसा नहीं मानी। फलतः बीहपुर में 21 जून से फिर सत्याग्रह शुरू कर दिया गया और यह सत्याग्रह गाँधी –इरविन समझौता हस्ताक्षरित होने तक चलता रहा। दिन में तीन बार स्वयसेवकों का जत्था नियमित रूप से भेजा जाता था। स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनकी मारपीट की जाती थी और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता था। वीहपुर में गोरखा सैनिक पदस्थापित कर दिए गए थे। पुलिस अधिकारियों ने चौकीदार द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के प्रयत्न भी किए। कभी–कभी स्वयंसेवकों को शारीरिक यंत्रण भी दी जाती थी। बलदेव दास नामक एक स्वयंसेवक के कान यंत्रणा के फलस्वरूप बुरी तरह हो गए थे। बिहार प्रांतीय काग्रेस कमिटी की पहली अगस्त को रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 जुलाई, 1930 को पुलिस ने स्वयंसेवकों पर लाठी एवं बंदूक के कुन्दों से प्रहार किया। तदुपरांत उन्हें घसीटकर एक खदक में ले गए और उन्हें कई बार जमीन पर पटका और उनके मुँह, आँख, नाक में कीचड़ भर दिया। इससे सभी बेहोश हो गए, लेकिन ज्योंही वे फिर होश में आए वे पुनः आगे बढ़े और फिर उनके साथ वैसा ही दुर्व्यवहार किया। इस प्रकार सत्याग्रह चलता रहा और अंत में सभी बुरी तरह घायल हो गए तब दूसरे सत्याग्रहियों ने उन्हें उठा लिया और इलाज के लिए भागलपुर भेज दिया। पुलिस स्वयंसेवकों के शिविरों पर भी धावा करती और वहाँ जो कुछ भी पाती, खाना, कपडा, आदि उठाकर ले जाती। शिविरों के समीप पहरेदार नियुक्त कर दिए गये थे ताकि वे बाजार से कुछ ला नहीं सकें।

विदेशी वस्त्र और नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ प्रान्त भर में जोर–शोर चल रहा था। कई स्थानों पर चौकीदारी कर नहीं चुकाने का अभियान चलाने की तैयारियाँ की जा रही थी। शाहाबाद जिलान्तर्गत बाबुरा नामक स्थान पर कुछ लोगों ने चौकीदारी चुकाने से इकार कर दिया था। कुछ अन्य स्थानों पर विदेशी वस्त्र विक्रेता की दुकानों में रखे विदेशी वस्त्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुहरबन्द कर दिए गए थे। उन दिनों कलकत्ता और कानपुर के बीच भागलपुर वस्त्र व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र था। अनेक स्थानों पर जाति पंचायतें नशीले द्रव्यों के व्यवहार पर प्रतिबंध लगा रही थी और कुछ स्थानों पर नशीले द्रव्य के व्यवसाय करने वालों को सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा था।[13]

विदेशी वस्त्र और नशीले पदार्थों की बिकी पर कोयला खदान क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा। इससे सरकारी राजस्व में आवकारी से होने वाली आय में काफी कमी हुई। सरकार इसे विफल कराने की हर तरह की कोशिश करती। बिहार उड़ीसा के आवकारी और नमुन आयुक्त, हौर्सफिल्ड ने 16 मई को मानभूम के उपायुक्त तथा प्रांत के अन्य जिलाधिकारियो को बोर्ड के नियमों में निम्नलिखित ढ़िलाई करने के आदेश दिए ''देहाती शराब, अफीम गांजा और भाग बेचने का समय स्थिति के अनुरूप बढ़ा दिया जाए। यदि घरना विफल करने में केवल यही पर्याप्त सिद्ध नहीं हो तो किसी एक दुकान में इन वस्तुओं को रखने और बेचने की मात्रा में ढ़िलाई की जा सकती थी।'' विदेशी शराब के संबंध में ये सब प्रतिबंध नहीं थे और उन पर भी धरना दिए जाने की आशंका थी इसलिए उनके बेचने को स्थान आवश्यकतानुसार और उपभोक्ताओं की सुविधानुसार बदला जा सकता है इसके जवाब में मानभूम के उपायुक्त ने 29 मई, 1930 को आबकारी आयुक्त को सूचित किया कि उपभोक्ताओं की नशीले पदार्थों की मांग के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाइयाँ करने के उपाय वह पहले से ही कर रहा था।

निष्कर्ष

इस प्रकार बिहार के विशेषकर वीहपुर के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने नमक बनाए और बेचे, खादी वस्त्रों का प्रचार–प्रसार किया, विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया और जुलूसों प्रदर्शनों तथा आम जनसभाओं में अपनी व्यापक जनसहभागिता से सविनय अवज्ञा आंदोलन को बुलन्दी दी। थाना वीहपुर के किसानों का सत्याग्रह आदोलन अपने आप में एक उदाहरण या जिसने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसात्मक सत्याग्रह के द्वारा ही राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः सरकारी दमन और अत्याचार का वीहपुर के किसानों ने शानदार प्रत्युत्तर दिया। अहिंसात्मक सत्याग्रह के महत्त्व को सिद्ध किया।

संदर्भ सूची

1. शुक्ल, रामलखन (2006) *''आधुनिक भारत का इतिहास'',* हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ. 625।
2. पूर्वोक्त, पृ. 626।
3. तेन्दुलकर, डी.जी. (2016) ''महात्मा'' द पब्लिकेशन डिवीजन, दिल्ली, वाल्यूम–01, खंड–3, पृ. 31।
4. द सर्चलाईट, 8–11 अप्रैल, 1930।
5. पूर्वोक्त, 1930।
6. प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की सप्ताहिक रिपोर्ट, 1930।
7. गाँधी, महात्माः 'यंग इंडिया', 15 मई, 1930।
8. मई के आरंभ में गया जिला और औरंगाबाद थानान्तर्गत करमा गाँव में नमक बनाया गया था।
9. इस काम के सिलसिले में राजेन्द्र बाबू और प्रोफेसर अब्दुल बारी मई के अंत में भभुआ और सासाराम गए. पटना आयुक्त का अभिलेख।
10. गाँधी, महात्मा, 'यंग इंडिया', 10 अप्रैल 1930।
11. सिंह, अर्जुन प्रसाद (1930) '।वीहपुर सत्याग्रह', रामगति सिंह, ए फ्यू पेजेज ऑफ माई डायरी।
12. दत्त, के. के. (1974) *''बिहार में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास'',* बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, खंड–2, पृ. 96।
13. पटना आयुक्त रिपोर्ट, 26 मई, 1930।

****